अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.2017 का कार्यवृत्त।

बैठक में समस्त विशेष सचिव / विशेष कार्याधिकारी तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय से आयुक्त, ग्राम्य विकास , मुख्य कार्यपालक अधिकारी –यू0पी0आर0आर0डी0ए0, मिशन निदेशक–एस0आर0एल0एम0, अपर आयुक्त मनरेगा, अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा प्रबंध निदेशक व मुख्य अभियंता–ग्रामीण पेयजल उ0प्र0जल निगम द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. सर्वप्रथम ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से सचांलित विभिन्न योजनाओं एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2017 को हुई बैठक में की गई अपेक्षा के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई।
2. समीक्षा के दौरान बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी एवं उपाध्यक्ष, भारत सरकार नीति आयोग के साथ दिनांक 10.05.2017 को हुई बैठक में हुये विचार–विमर्श के आलोक में नियोजन विभाग , उ0प्र0 से प्राप्त ग्राम्य विकास से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा तैयार किये गये रोड मैप पर विचार किया गया और नियेाजन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई।
3. मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुतीकरण में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आगामी 100 दिवसों में कराये जाने वाले कार्यो की प्रगति की समीक्षा हुई तथा प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र में शामिल ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा हुई।
4. कार्यक्रमवार कार्यवाही हेतु निम्न निर्देश दिये गयेः–

(1) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा)

- **i.** योजनान्तर्गत भारत सरकार से समन्वय कर निर्धारित केन्द्रांश प्राप्त करने का सघन प्रयास किया जाये।
- **ii.** श्रमिकों को समयान्तर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया जायें।
- **iii.** ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में आवश्यक धनराशि व्यवस्थित करने हेतु सामग्री अंश की धनराशि भारत सरकार से सम्पर्क कर वित्तीय स्वीकृति कराई जाये।
- **iv.** मनरेगा परिसम्पत्तियों की जीयो टैगिंग पूरी कराई जाये।
- **v.** आगामी 100 दिवसों की कार्य योजना के अनुसार लक्षित कार्य पूर्ण किये जाये।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0–7)

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- **i.** योजनान्तर्गत पूर्व में संचालित इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे आवास पूर्ण कराये जायें।
- **ii.** वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लगभग 10 लाख आवास निर्मित किये जाने है कार्य–योजना तैयार कर प्रगति सुनिश्चित की जाये।

Smita proceding

iii. योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से रू0 2234.30 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वॉछित धनराशि स्वीकृत कर आवास निर्माण में प्रगति लाई जाये।

iv. आवासीय लक्ष्यों को पूरा करने हेतु यथा आवश्यकता के दृष्टिगत वित्त विभाग की अनुसंशा के अनुरूप प्रस्तावित रू0 3000 करोड़ ऋण के रूप व्यवस्था स्वरूप कार्यवाही की जाये।

v. आगामी 100 दिनों में की जानी वाले कार्यवाही के अंतर्गत लक्षित कार्य समय सीमा में पूर्ण करने हेतु सतत अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0– 4)

(3) <u>लोहिया ग्रामीण आवास योजना –</u>

i. योजनान्तर्गत अपूर्ण आवासों को जिन्हें प्रथम किश्त दी जा चुकी है उन आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।

ii. योजनानतर्गत लेखानुदान के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1819.66 करोड की व्यवस्था हुई है यथा निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये। सोलर पाइप व नये निर्माण कार्य कदापि न किये जायें।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0– 4)

(4) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)</u>

i. लक्षित कार्यो की गतिशीलता हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता की कार्यवाही अपूर्ण है। इस संबंध में मिशन निदेशक द्वारा सम्यक परीक्षण कर शीघ्रताशीघ्र निर्णय कराये जायें।

ii. भारत सरकार के एच0आर0 मैनुअल को दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद/ब्लाक पर भी लागू करने की कार्यवाही हो।

iii. बैक लिंकजेंज की प्रगति अच्छी नही है सघन प्रयास किये जायें।

iv. सी0आर0पी0 के प्रशिक्षण हेतु माड्यूल तैयार कराया जाये और ग्राम्य विकास विभाग के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थाओं यथा– एस0आर0आर0डी0/आई0आर0आर0आईडी0/ डी0आई0आर0डी0 का उपयोग किया जाये।

v. समूहों को रिवाल्विंग फण्ड की उपलब्धता में प्रगति लाई जाये।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0– 6)

(5) <u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्रामीण)</u>

i. योजनान्तर्गत काफी संख्या में टेण्डर हो चुके हैं परन्तु बॉण्ड की कार्यवाही अभी अपूर्ण हैं। शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराई जाये और निर्माण कार्य सम्पन्न कराये जायें।

ii. 250 से 499 आबादी की सड़कों का आच्छादन तथा 100 किमी0 प्रति संसदीय क्षेत्र के हिसाब से अपग्रेडेशन के प्रस्ताव पर भारत सरकार से अनुमति हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाये।

iii. योजनान्तर्गत निर्मित हो रही सड़कों एवं गड्ढा मुक्त के कराये गये कार्य की गुणवत्ता प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाये।

iv. सड़कों के भौतिक सत्यापन के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश भेजे जायें तथा क्वालटी मानीटर्स के द्वारा सत्यापन पर बल दिया

जाये और निरीक्षण आख्याओं के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाये।

v. योजनान्तर्गत गत वर्ष के अवशेष एवं वर्तमान वर्ष में स्वीकृत धनराशि सहित काफी मात्रा में धनराशि की उपलब्धता है परन्तु उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय न्यून है। प्रगति लाई जाये।

vi. भारत सरकार से वर्तमान वर्ष में धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है केन्द्रांश स्वीकृति कराया जाये।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0– 9)

(6) ग्रामीण पेयजल

i. ग्रामीण पेयजल हेतु आगामी 100 दिवसों की कार्ययोजना में एम0एल0ए0 / एम0एल0सी0 को आवंटन के सापेक्ष अवशेष हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कराया जाये।

ii. बुन्देलखण्ड में लक्षित कार्य यथा– नये हैण्डपम्प / रिबोर एवं पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कराया जाये।

iii. प्रतापगढ में वर्तमान में 07 ट्यूबबेल खराब है। रिबोर का कार्य कर पाइप पेयजल योजना क्रियाशील बनाई जाये।

iv. टी0टी0एस0पी0 योजना के अंतर्गत 11 जनपद में हैण्डपम्प रिबोर का कार्य पूर्ण किया जाये।

v. एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अंतर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की समय–सारणी तैयार कर येाजनायें पूर्ण कराई जायें।

vi. ग्रामीण पेयजल हेतु समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा येाजना (वाटर ए0टी0एम0), बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल हेतु पेयजल योजना एवं राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत लेखानुदान के माध्यम से बजट प्राविधान हुआ है। उद्वेश्यानुसार कार्यो की प्रगति हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

vii. ग्रामीण पेयजल के लक्षित कार्यो की एम0आई0एस0 अनुश्रवण व्यवस्था बनाते हुये प्रतिदिन राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा अनुश्रवण कर प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0– 5)

(7) प्रधानंत्री आदर्श ग्राम योजना

i. योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष की धनराशि रू0 44.10 करोड़ अप्रयुक्त है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान के माध्यम से रू0 50 करोड की व्यवस्था बनाई गई है परन्तु धनराशि का उपयोग शून्य है।

ii. योजना के उद्वेश्यानुसार चिन्हित कार्यो को करने के लिये तत्काल कार्य योजना बनाई जाये और लक्ष्यानुसार प्रगति सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– विशेष सचिव, ग्रा0वि0अनु0– 6)